प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 285/2003

अपीलार्थी : चिंगाड़ा उर्फ चमारा

(जेल में)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री **आर. एन. चंद्राकार**

मै सहमत हूँ।

सही/-
आर. एन. चंद्राकार
न्यायमूर्ति

29 जून, 2010 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध करे

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 285/2003

अपीलार्थी : चिंगाड़ा उर्फ चमारा, आयु लगभग 21 वर्ष पिता श्री

(जेल में) सुकमन रावत, निवासी सुरेपाल, पुलिस थाना तोंगपाल,

जिला : दंतेवाड़ा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना कोतवाली जगदलपुर, जिला : बस्तर (छ.ग.) के माध्यम से

उपस्थित :

श्री आलोक देवांगन अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री अरुण साव प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता।

युगलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **धीरेन्द्र मिश्रा**

माननीय न्यायमूर्ति श्री **आर. एन. चंद्राकार**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(29 जून, 2010 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा, द्वारा दिया गया है।

1. अपीलकर्ता ने यह अपील सत्र विचारण क्रमांक 271/2002, में पारित दिनांक 11 जुलाई, 2002 के दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध दायर की है, जिसके तहत चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बस्तर स्थान जगदलपुर ने अपीलकर्ता को शरद चंद्र यादव की हत्या करीत करने के लिए के लिए दोषी ठहराते हुए, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 200/- रुपये के जुर्माने से दंडित कर एवं, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 4 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में प्रस्तुत किया गया है, यह है कि, 5-2-2000 को लगभग 9 बजे रात को अपीलकर्ता शरद चंद्र के घर में शराब की दो बोतलें ले कर आया था। दोनों ने एक बोतल से शराब का सेवन किया। जब मृतक ने दूसरी बोतल खोली, तो आरोपी चला गया। शराब पीने के बाद मृतक शरद बीमार पड़ गया, उसे पेट में दर्द हुआ और वह तड़पने लगा। उसकी पत्नी मीना आरोपी की तलाश में गई और उसे न पाकर वापस लौट आई। अपने पति की हालत को देखते हुए, उसने डॉक्टर को बुलाया और उनकी सलाह पर, वह उसे रिक्शे से अस्पताल ले गई जहाँ मृतक की 6-2-2000 को सुबह 11:30 बजे मृत्यु हो गई।

3. अस्पताल से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 6-2-2000 को प्र.पी/4 के तहत मर्ग दर्ज किया गया। प्र.पी/10 के तहत शव की मृत्यु समीक्षा तैयार करने के बाद, शव को प्र.पी/11 के तहत महारानी अस्पताल, जगदलपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहाँ डॉ. एम.ए.एच. रिज़वी (अ.सा.-7) ने पोस्टमार्टम किया और दिनांक 7-2-2000 को प्र.पी/5 के तहत अपनी रिपोर्ट दी। पीले रंग के तरल पदार्थ वाली एक अंग्रेजी शराब की बोतल दिनांक 9-2-2000 को अपराह्न 3.00 बजे मीना यादव द्वारा पुलिस थाने में प्र.पी/1 के तहत प्रस्तुत करने पर कब्जे में ली गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सहायक उपनिरीक्षक राज कुमारी पाण्डेय की सूचना पर 1 मार्च, 2000 को प्रदर्श पी/2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मृतक के विसरा से भरे दो प्लास्टिक के सीलबंद कंटेनर, जो पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखे गए थे और अस्पताल से प्राप्त हुए थे, को प्र.पी/3 के तहत कब्जे में ले लिया गया।

5. विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23-2-2000 को किए गए क्वेरी के उत्तर में, डॉ. रिज़वी ने 1-3-2000 को प्रदर्श-पी/7 के अनुसार अपनी राय दी। मौका नक्शा

विवेचना अधिकारी द्वारा 2 मार्च, 2000 को प्रदर्श-पी/8 के अनुसार तैयार किया गया। दिनांक 27-2-2000 को एक अन्य क्रेरी के उत्तर में, डॉ. वी.के. जोशी (अ.सा.-10) ने प्रदर्श-पी/13 के अनुसार अपनी राय दी।

6. शराब से भरी बोतल और शरद चंद्र यादव के विसरा और नमक के घोल वाली दो बोतलों को रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल, सागर भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट (एक्स. पी/15) है। एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार, बोतल में शराब में मोनो क्रोटोफॉस और एथिल अल्कोहल था और विसरा वाले कंटेनर में ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस और एथिल अल्कोहल भी था।

7. सामान्य विवेचना पूरी करने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय को उपार्पित कर दिया और इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण के लिए अंतरण पर प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र तैयार किया, जिसमे आरोपी ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया।

9. अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों का परीक्षण कराया। इसके बाद, अभियुक्त का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया। जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले में अपने विरुद्ध दर्शित परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं के निर्दोष होने तथा मामले में फँसाए जाने का अभिवाक किया।

10. विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और निर्णय के पैरा-1 में उल्लिखित अनुसार दंडित किया।

11. शरद चंद्र यादव की मृत्यु विष के कारण हुई, इस बात पर कोई विवाद नहीं है। निम्नलिखित अखंडित साक्ष्यों से भी यह सिद्ध होता है कि मृतक की मृत्यु विषैले पदार्थ ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस के सेवन से हुई।

> "मीना(अ.सा.-2) ने बयान दिया है कि दूसरी बोतल से शराब पीने के बाद उसके पति की हालत बिगड़ने लगी और वह उसे अस्पताल ले गई। डॉ. रिज़वी (अ.सा.-7) ने पोस्टमार्टम किया और आंतरिक विवेचना में पाया कि पेट से संदिग्ध ऑर्गेनो फॉस्फेट जैसी तीखी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने विसरा सुरक्षित रख लिया और रासायनिक विवेचना की सलाह दी। केरी के जवाब में उन्होंने अपनी प्र.-पी/6 रिपोर्ट पेश की और राय दी कि यह संभव है कि मृतक की मौत ऑर्गेनो फॉस्फेट और एथिल अल्कोहल के कारण हुई हो, जैसा कि उनकी प्र.-पी/6 रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि, उन्होंने राय दी कि 18 मार्च, 2000 की उनकी प्र. पी/7 रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण बताना संभव नहीं है। एफएसएल (प्र.पी/15) से प्राप्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि प्रदर्श 'ए' चिह्नित पीले तरल वाली बोतल और प्रदर्श 'बी' और 'सी' चिह्नित मृतक के विसरा वाले कंटेनर में फॉस्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस और एथिल अल्कोहल था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रभावी तर्क दिया कि विष देकर हत्या के मामलों में दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि मृतक को विष देने के पीछे अभियुक्त का स्पष्ट हेतुक था। वर्तमान मामले में, मृतक की पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता अक्सर उसके घर आता था और वे साथ में शराब पीते थे और उसकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अभिलेख में ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि अपीलकर्ता के पास मृतक की हत्या कारित करने का कोई हेतुक था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त के पास विष था और उसे मृतक को विष देने का मौका मिला था। इसके विपरीत, घटना के दिन मृतक ने शाम लगभग 6 बजे तेन सिंह ठाकुर के साथ शराब का सेवन किया था। उसकी दोषसिद्धि मृतक की पत्नी मीना (अ.सा.-3) की गवाही और उसके पिता शंकर (अ.सा.-2) की गवाही पर आधारित है, मीन दावा करती है की अपीलार्थी दो बोतलें लाया था, दोनों ने पहली बोतल से शराब का सेवन किया। जब उसके पति ने दूसरी बोतल खोली, तो अपीलकर्ता चला गया और दूसरी बोतल से शराब का सेवन करने के बाद ही मृतक बीमार पड़ गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई, दूसरी बोतल की शराब में विष था। बोतल जिसमे शराब थी अपीलार्थी से नही जब्त किया गया था और उसे घटना के 4 दिन बाद 9-2-2000 को मीना द्वारा पुलिस थाने में पेश करने पर जब्त किया गया था। इन परिस्थितियों में, मीना बाई द्वारा दी गई बोतल के विवरण और बोतल में तरल के रंग. में तात्विक विसंगति है। मीना बाई और उनके ससुर शंकर यादव (अ.सा.-3) के कथन परस्पर विरोधाभास है। इस बात के साक्ष्य है कि उसके पुत्र प्रवीर और शरद के बीच झगड़ा था, उसके पिता ने यह स्वीकार किया है कि क्योंकि वह काम नहीं करता था और शराब पीता था, इसलिए पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था और शरद उसे पीटता रहता था। समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है, कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अकेले अपीलकर्ता को मृतक को विषाक्त शराब पिलाने का अवसर मिला था। विचारण न्यायालय ने तथ्य को अनुचित महत्व दिया है कि अपीलकर्ता घटना के बाद 2 साल से अधिक समय तक फरार रहा। अपीलकर्ता 21 साल का निपट देहाती है। अकेले उपरोक्त तथ्य को हत्या का आरोप तय करने के लिए एक परिस्थिति नहीं माना जा सकता है। वैसे भी, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया है कि इस अपीलकर्ता 2 साल से अधिक समय तक फरार था और उपरोक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के परीक्षण में भी परिस्थिति को शामिल नहीं किया गया है।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

14. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने अभिलेख तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय **शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** ((1984) 4 एससीसी 116) के मामले में विष द्वारा हत्या विचार करते हुए निर्णय के पैराग्राफ 165 में या आत्महत्या पर इस प्रकार कहा है:

"जहां तक इस मामले का संबंध है, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक विवेचना करनी चाहिए तथा चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए, जो अकेले ही दोषसिद्धि को उचित ठहरा सकती हैं:

(1) मृतक को विष देने के लिए अभियुक्त का स्पष्ट हेतुक है,

(2) मृतक की मृत्यु विष दिए जाने से हुई,

(3) अभियुक्त के पास विष था,

(4) उसे मृतक को विष देने का अवसर मिला था।"

16. **भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य** ((1988) 3 एससीसी 513) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज़हर देकर हत्या का मामला स्थापित करने के लिए

आवश्यक उपरोक्त तीसरी परिस्थिति की उपलब्धता पर संदेह व्यक्त किया है। उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 25 और 26 नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:-

"25. हमारा मानना है कि अभियुक्त को बरी नहीं किया जाना चाहिए या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के पास विष होने की बात साबित करने में विफल नहीं होना चाहिए। विष देकर हत्या हमेशा गोपनीयता की आड़ में की जाती है। कोई भी व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में किसी दूसरे को विष नहीं देगा। जो व्यक्ति किसी दूसरे को गुप्त रूप से विष देता है, वह विवेचना अधिकारी के आने और उसे लेने के लिए विष का एक अंश भी नहीं रखेगा। ऐसी हत्या करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने विरुद्ध सबूतों को मिटाने और नष्ट करने का ध्यान रखेगा। ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के पास विष होने की बात साबित करना असंभव होगा। हालाँकि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप अन्य परिस्थितियाँ स्थापित कर सकता है। तब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस आधार पर बरी करना उचित नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के पास विष होने की बात साबित करने में विफल रहा है।

26. विष देकर हत्या के मामलों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे कई तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट हो सकती हैं जिनके आधार पर न्यायालय यह अनुमेय निष्कर्ष निकालने में न्यायसंगत हो सकता है कि अभियुक्त के पास प्रश्नगत विष था। अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध किए गए कई तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनके आधार पर अभियुक्त के पास ज़हर होने के तथ्य को मौन रूप से स्वीकार करना आवश्यक हो सकता है। हर मामले में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त के पास ज़हर होने के प्रमाण पर ज़ोर देना न तो वांछनीय है और न ही व्यावहारिक । इसका अर्थ होगा विष देकर हत्या के अपराध में एक बाहरी तत्व जोड़ना। इसलिए, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। ज़हर देकर हत्या के मामले में अभियुक्त के दोषसिद्ध होने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। अन्य प्रकार की हत्याओं की तुलना में विष देकर की गई हत्या को दंड से छूट दी गई है। विष देकर की गई हत्या को भी अन्य हत्याओं की तरह ही माना जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ निर्भरता पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर हो, और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो, न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर किसी भी मामले में किसी न किसी तरह से वैध रूप से निष्कर्ष निकाल सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस न्यायालय ने **कृष्णा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** (2008 (1) सी.जी.एल.जे. 107 (डी.बी.)) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का अनुसरण करते हुए, यह मानते हुए कि विष देने का हेतुक साबित नहीं हुआ था और विष देने के समय और तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभासों पर भी विचार करते हुए, अपीलकर्ता को बरी कर दिया था।

18. हम शरद बिरदीचंद सारदा (पूर्वोक्त) और भूपिंदर सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों के प्रकाश में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान मामले में चार महत्वपूर्ण परिस्थितियां स्थापित हुई हैं या नहीं।

क्या मृतक को विष देने के पीछे अभियुक्त का कोई स्पष्ट हेतुक था?

19. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद-25 में, अ.सा.-3 शंकर के साक्ष्य के आधार पर, यह टिप्पणी की है कि प्रवीर मृतक का बड़ा भाई है, जो अलग रहता है और पिछले साल होली अर्थात 5-3-99 को प्रवीर ने शरद चंद्र पर तीर-धनुष से हमला किया था और उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, मीना द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुनः प्रस्तुत किया गया है, उल्लेख करते हुए, यह टिप्पणी की गई है कि जब मीना मृतक के बारे में केरी करने गई थी, तो आरोपी प्रवीर के घर पहुँची तो वह नाराज़ हो गया और उसे गालियाँ दीं और मारपीट पर उतारू हो गया। इसके बाद वह आरोपी के साथ भाग गया। इस साक्ष्य के आधार पर, यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने अपने बहनोई के हित में यह जघन्य अपराध किया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि विषाक्त शराब का सेवन करने से शरद चंद्र की मृत्यु हो जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अ.सा.-2 मीना ने अपने प्रति परीक्षण के अनुच्छेद-5 में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि चिंगदा अक्सर उनके घर आता था और उसके पति के साथ शराब पीता था। उसकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी।

21. अ.सा.-3 शंकर ने बयान दिया है कि उसके दो बेटे हैं। उसके बड़े बेटे का नाम प्रवीर है जबकि छोटे का नाम शरद है। अनुच्छेद-3 में उसने बयान दिया है कि दोनों बेटों के बीच कुछ विवाद था और वे आपस में बात नहीं करते थे। होली के त्योहार के समय उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था। अ.सा.-2 ने यह भी बयान दिया है कि उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी और अपनी शिकायत में उसने उल्लेख किया था कि प्रवीर ने 7-3-99 को उसके पति पर धनुष-बाण से हमला किया था। इस साक्षी की गवाही से यह भी स्पष्ट है कि मीना और मृतक के बीच शराब का सेवन करने को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। वह उसे मारता-पीटता भी था। अ.सा.-3 शंकर ने भी उपरोक्त तथ्य का कथन किया है।

विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता ने अपने बहनोई प्रवीर, जिसका अपने सगे छोटे भाई शरद के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध था, के हित में मृतक को विषाक्त शराब पिलाई होगी, अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और मीना बाई के स्पष्ट कथनों के मद्देनजर कि अभियुक्तों के साथ शराब पीता था और उनके साथ कोई भी विकृत संबंध नहीं था। विचारण न्यायालय का यह सकारात्मक निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि अपीलकर्ता के पास मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक था और तदनुसार, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता के पास मृतक की हत्या करने का कोई हेतुक था। इसके विपरीत, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के मृतक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। वह अपने जीवनकाल में अक्सर मृतक के घर आता-जाता रहता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्या मृतक की मृत्यु विष दिए जाने से हुई है ?

22. जहां तक इस परिस्थिति का संबंध है, हम पहले ही यह अवधारित कर चुके हैं कि मृतक की मृत्यु ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस के कारण हुई थी।

क्या अभियुक्त के पास विष था और क्या अभियुक्त को मृतक को विष देने का अवसर मिला था?

23. विषाक्त शराब वाली बोतल मीना अ.सा.-2 से उसके द्वारा 9-2-2000 को पुलिस थाने में प्र.पी/2 के तहत पेश किए जाने पर जब्त की गई थी। मीना ने बयान दिया है कि उसके पति ने एक बोतल से और दूसरी बोतल के कुछ हिस्से से शराब का सेवन किया था। उस समय वह घर में मौजूद थी और उसने उसे शराब पीते हुए देखा। अपीलकर्ता उसके साथ था और दोनों शराब पी रहे थे। चिंगदा ने उसके पति के साथ पहली बोतल से शराब का सेवन किया, हालांकि, उसने दूसरी बोतल से शराब का सेवन न करते हुए वहा से चला गया। उसके पति ने दूसरी बोतल से भी

शराब का सेवन किया था और उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वह चिंगदा को बुलाने के लिए प्रवीर के घर गई, हालांकि, वह उस घर में मौजूद नहीं था, उसके बाद वह अपने पति को महारानी अस्पताल ले गई जहां रविवार को सुबह लगभग 8-9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी और पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी। शराब का रंग लाल था। प्रति परीक्षण में, उसने कहा है कि चिंगदा शराब की 2 बोतलें लाया था, दोनों बोतलें आधी (अद्धी) थीं। उसके पति ने पहली बोतल चाकू की मदद से खोली थी, हालाँकि, उसने दूसरी बोतल हाथ से खोली थी। उसने दूसरी बोतल से शराब का सेवन किया, हालाँकि, आरोपी ने दूसरी बोतल से शराब नहीं पी क्योंकि वह बाहर चला गया था। वह केवल एक बोतल पुलिस थाने ले गई थी। उसने यह भी कहा है कि उसने घटना के 8 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आगे कहा है कि उसने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लिखित रिपोर्ट दी थी और अपने आवेदन के साथ, उसने शराब से भरी बोतल सौंपी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अ.सा.-3 शंकर ने गवाही दी है कि उसका बेटा दो गिलासों में शराब डालकर, एक उसे दे रहा था। वह आराम करने गया और जब तक वह लौटा, शरद ने गिलास से शराब निकाल ली थी और उससे कहा था कि वह न पिए क्योंकि उसमें विष मिला हुआ है। इसके बाद, उसे(बेटे को) पेट दर्द और ऐंठन होने लगी। प्रति परीक्षण में, उसने गवाही दी है कि उसने अपीलकर्ता और शरद को अपने घर में शराब पीते देखा था, हालाँकि, उसके सामने उनका झगड़ा नहीं हुआ था। चिंगदा शाम 7-8 बजे उसके घर आया था। जब चिंगदा उसके घर आया, तो उसनके टीवी देखकर लौटने पर उसे शराब के सेवन के लिए आग्रह किया।

25. अ.सा.- 4 तेन सिंह ठाकुर ने भी बयान दिया है कि घटना दिनांक को उसने मृतक के साथ शाम 5 बजे शराब पी थी। शराब का सेवन करने के 2-3 घंटे बाद मृतक बीमार पड़ गया। उसे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। उसे अस्पताल में

भर्ती कराया गया था। जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उसने अपीलकर्ता को शरद के घर जाते नहीं देखा था।

26. इस प्रकार, गवाहों के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के दिनांक को मृतक ने तेन सिंह ठाकुर के साथ-साथ अपीलकर्ता के साथ शराब का सेवन किया था। इस बात के साक्ष्य हैं कि अपीलकर्ता द्वारा शराब की दो बोतलें लाई गई थीं, हालांकि, विवेचना के दौरान, न तो अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से लाई गई दूसरी बोतल और न ही शराब का सेवन करने के लिए इस्तेमाल किए गए गिलासों को तुरंत जब्त और सील किया गया था। शराब की दूसरी बोतल मीना द्वारा पेश किए जाने पर 9-2-2000 को पुलिस थाने में उसके कब्जे से जब्त कर ली गई थी। इस प्रकार, बोतल 4 दिनों तक बिना सील की हालत में मीना के कब्जे में रही थी। उसने यह भी गवाही दी है कि उसने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अपनी लिखित शिकायत के साथ विष की बोतल दी थी, जिसे वह 8 दिनों के बाद दर्ज कराने का दावा करती है। मीना से 9-2-2000 को जब्त की गई बोतल को एफएसएल को भेज दिया गया है। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि ज़हरीली शराब की बोतल वही बोतल थी जो कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा लाई गई थी, उचित नहीं है और इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। किसी भी सबूतो के अभाव में केवल मीना बाई और शंकर के इस साक्ष्य के आधार पर कि मृतक और अपीलकर्ता दोनों ने अपीलकर्ता द्वारा लाई गई शराब का सेवन किया था और दूसरी बोतल से शराब का सेवन करने के कारण मृतक की मृत्यु हो गई, यह नहीं माना जा सकता कि अकेले अपीलकर्ता को मृतक को ज़हर देने का अवसर मिला था, अपीलकर्ता द्वारा लाई गई बोतल वास्तव में जब्त कर ली गई थी और उसमें ज़हर था और उसे रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया था। विशेष रूप से, तेन सिंह के निर्विवाद साक्ष्य के प्रकाश में, जिसने यह भी गवाही दी है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि उसने मृतक के साथ उसी दिन शाम लगभग 6 बजे शराब पी थी और उसके 2-3 घंटे बाद उसने पेट में दर्द की शिकायत की और उल्टी हुई और अगले दिन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

27. उपर्युक्त कारणों से, हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अपीलकर्ता को अकेले ही मृतक को विष देने का अवसर मिला था। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक को ज़हर देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं कि अपीलकर्ता के मृतक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जयपाल बनाम हरियाणा राज्य** ((2003) 1 एससीसी 169) के मामले में, शरद बिरदीचंद सारदा (पूर्वोक्त) के निर्णय को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया है और निर्णय के अनुच्छेदग्राफ33 में यह माना गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"33. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले का निर्धारण करते समय न्यायालय को सतर्क रहना होगा। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने राघव प्रपन्न त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में (एआईआर पृष्ठ 89, अनुच्छेद 60 पर) आर. बनाम हॉज से उधृत करते हुए सावधानी बरतने की बात कही थीः

"मन को अनुकूलन में आनंद आने लगा था एक दूसरे के प्रति परिस्थितियों का सामना करने में, तथा तनाव में रहने में भी। यदि आवश्यकता हो तो उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके, उन्हें इसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर करना एक जुड़ा हुआ पूरा; और जितना अधिक सरल मन व्यक्ति की जितनी अधिक संभावना थी, इस बात पर विचार करते हुए मामला, अतिक्रमण करना और खुद को गुमराह करना, कुछ

आपूर्ति करना एक छोटा सा साधन जो चाह रहा है, किसी तथ्य को मान लेना अपने पिछले सिद्धांतों के अनुरूप और आवश्यक उन्हें पूरा प्रदान करें।"

29. हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस राय पर हैं कि, अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है जो अभियुक्त पर अपराध को साबित करता, जिससे संदेह के लिए कोई जगह, नहीं बचती।

30. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि और उस पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। यदि उसे किसी अन्य अपराध में निरुद्ध रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

सही/-
आर. एन. चंद्राकार
न्यायमूर्ति
29/06/2010

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu